FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

रितुराज बनाम राज. सरकार तहसीलदार

किस्म मुकदमा 136-131

नम्बर 30 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-9-2021	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 12/10/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
3/12/21	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान आजी का खेड़ा मे पेश हुई। तहसील बिजौलिया से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी एवं पेशकार सरकार की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र धारा 131-136 स्वीकार किया जाता है। डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– **30/2021** दायर तारीख 29/9/2021

अनवान

रितुराज पुत्र प्रसैनजीत जाति पाण्डे उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल आचार्य, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 3/12/2021

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम फतहपुरा प0ह0 उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित खसरा संख्या 21 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में 1/35 वे हिस्से का प्रार्थी खातेदार हैं। उक्त खसरा संख्या 21 का कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर है नक्शे में खसरा संख्या 21 के कुल रकबे को नक्शा ट्रेस में दो हिस्सों में दर्शाया हुआ। आराजी खसरा संख्या 21 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 21/1 नक्शा ट्रेस में दर्शाया हुआ है। खसरा संख्या 21/1 को राष्ट्रीय राजमार्ग में आवाप्त किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 21/1 से सटा हुआ बिना नम्बर डाले हुये डिब्बा बना रखा हैं। जो खसरा नम्बर 21 का आंशिक हिस्सा होकर उसका रकबा 11 बिस्वां अर्थात 0.0891 हैक्टेयर हैं। जिसे नजरी नक्शे बिन्दु ए से दर्शाया गया हैं। खसरा संख्या 21 का वर्तमान में आकार 0.3237 हैक्टेयर नक्शे अनुसार हैं। जिसमें बिना नम्बर के छूटे डिब्बे के रकबे 0.0891 हैक्टेयर को जोडे जाने पर खसरा संख्या 21 का जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.4128 हैक्टेयर की पूर्ति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम फतहपुरा प0ह0 उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित खसरा संख्या 21 का उसके नक्शे में दर्ज आकार अनुसार 0.3237 हैक्टेयर दर्ज करवाने हेतु आदेश प्रदान कराया जावें। व बिना खसरा नम्बर के छोडे गये रकबे को खसरा नम्बर 21 के साथ खाते में जोडा जाकर तरमीम द्वारा बिना खसरा नम्बर छूटे डिब्बे को नया नम्बर डाला जाकर उसका रकबा 0.0891 हैक्टेयर दर्ज करने हेतु विपक्षी को आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/2021/1654 दिनांक 10.11.2021 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम फतहपुरा की आराजी नम्बर 21 रकबा 0.4128 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

शामलाती में प्रार्थी रितुराज पाण्डे निवासी बिजौलियां एवं अन्य खातेदारो के जमाबन्दी में हिस्से अनुसार दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 21 के बीच में से एन.एच. 27 गुजर रहा हैं। जिसका खसरा नं0 21/1 हैं। आराजी नम्बर 21 एन.एच. 27 के दोनों तरफ स्थित है उतरी तरफ नक्शा लट्ठा में नम्बर अंकित नहीं है। दक्षिणी तरफ आराजी नं0 21 अंकित है जबकि एन.एच. 27 की तरमीम के वक्त एन.एच. 27 के उतरी तरफ के हिस्से का अलग नम्बर अंकित होना चाहिए था जो नही हुआ हैं। वक्त सेग्रीगेशन आराजी नं0 21 के एन.एच. 27 के उतरी हिस्से को एन.एच. 27 के आराजी नं0 21/1 में शामिल करते हुए नक्शा ऑनलाईन हो गया हैं। एन.एच. 27 की उतरी तरफ का रकबा मौके अनुसार 0.11 बीघा बनता है जबकि लट्ठा में रकबा 0.05 बीघा ही है। इसी प्रकार एन.एच. 27 से दक्षिणी तरफ का रकबा 1.19 बीघा मौके अनुसार बनता है जबकि नक्शा लट्ठा में रकबा 1.14 बीघा ही हैं जबकि एन.एच. 27 का रकबा जमाबन्दी व मौके अनुसार 2.02 बीघा हैं लेकिन नक्शा लट्ठा में 2–13 बीघा रकबा बनता हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम फतहपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 72 एवं नक्शा ट्रेस ग्राम फतहपुरा की प्रति संलग्न की है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021 शिविर स्थान उमाजी का खेड़ा में पत्रावली पेश हुयी। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि प्रार्थी की मौजा ग्राम फतहपुरा प0ह0 उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां में स्थित खसरा संख्या 21 रकबा 0.4128 हैक्टेयर में से 1/35 वें हिस्से का प्रार्थी खातेदार हैं। उक्त खसरा संख्या 21 का कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर है नक्शे में खसरा संख्या 21 के कुल रकबे को नक्शा ट्रेस में दो हिस्सों में दर्शाया हुआ। खसरा संख्या 21 का उसके नक्शे में दर्ज आकार अनुसार 0.3237 हैक्टेयर दर्ज करवाने हेतु आदेश प्रदान कराया जावें। व बिना खसरा नम्बर के छोडे गये रकबे को खसरा नम्बर 21 के साथ खाते में जोडा जाकर तरमीम द्वारा बिना खसरा नम्बर छूटे डिब्बे को नया नम्बर डाला जाकर उसका रकबा 0.0891 हैक्टेयर दर्ज करने हेतु विपक्षी को आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन करने पर ज्ञात होता हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में एन.एच. – 27 निकलने के कारण एन.एच. – 27 द्वारा प्रार्थी के खसरा संख्या 21 में से रकबा 2.02 बीघा अधिग्रहण किया गया था। तथा प्रार्थी को 02.02 बीघा का ही मुआवजा दिया गया

पैरोकार सरकार स्वयं ने अपने उक्त जवाब में अंकित किया कि ग्राम फतहपुरा की आराजी नम्बर 21 में प्रार्थी एवं अन्य खातेदारो के जमाबन्दी में हिस्से अनुसार दर्ज रेकॉर्ड हैं। आराजी नम्बर 21 के बीच में से एन.एच. 27 गुजर रहा हैं। जिसका खसरा नं0 21/1 हैं। आराजी नम्बर 21 एन. एच. 27 के दोनों तरफ स्थित है उतरी तरफ नक्शा लट्ठा में नम्बर अंकित नहीं है। दक्षिणी तरफ आराजी नं0 21 अंकित है जबकि एन.एच. 27 की तरमीम के वक्त एन.एच. 27 के उतरी तरफ के हिस्से का अलग नम्बर अंकित होना चाहिए था जो नही हुआ हैं। वक्त सेग्रीगेशन आराजी नं0 21 के एन.एच. 27 के उतरी हिस्से को एन.एच. 27 के आराजी नं0 21/1 में शामिल करते हुए नक्शा ऑनलाईन हो गया हैं। एन.एच. 27 की उतरी तरफ का रकबा मौके अनुसार 0.11 बीघा बनता है जबकि लट्ठा में रकबा 0.05 बीघा ही है। इसी प्रकार एन.एच. 27 से दक्षिणी तरफ का रकबा 1.19 बीघा मौके अनुसार बनता है जबकि नक्शा लट्ठा में रकबा 1.14 बीघा ही हैं जबकि एन.एच. 27 का रकबा जमाबन्दी व मौके अनुसार 2.02 बीघा हैं लेकिन नक्शा लट्ठा में 2–13 बीघा रकबा बनता हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाता हैं कि तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम फतहपुरा की आराजी नम्बर 21 में एन.एच. 27 निकलने के कारण आराजी नम्बर 21 एन.एच. 27 के दोनों तरफ स्थित है लेकिन एन. एच. 27 के उतरी तरफ नक्शा लट्ठा में नम्बर अंकित नहीं है एवं दक्षिणी तरफ आराजी नं0 21 अंकित है। अतः तहसीलदार बिजौलियां के प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं नक्शा मौका स्थिति अनुसार एन. एच. 27 रकबा 2—13 बीघा में से 2—02 बीघा एवं एन.एच. 27 के उतरी तरफ नये आराजी नम्बर 21/2 दिये जाकर रकबा 0—11 बीघा एवं एन.एच. 27 के दक्षिण में अंकित आराजी नम्बर 21 रकबा 1—19 बीघा भूमि का राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश किये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 3/12/2021 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा